

18375

मध्यप्रदेश शासन  
सामान्य प्रशासन विभाग  
मंत्रालय

क्रमांक सी-3-11/2016/1/3

भोपाल, दिनांक १ फरवरी 2017

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,  
अध्यक्ष राजस्व मण्डल, म.प्र.गवालियर,  
समस्त संभागायुक्त,  
समस्त विभागाध्यक्ष,  
समस्त कलेक्टर,  
समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत  
मध्यप्रदेश

**विषय:-** शासकीय सेवकों द्वारा स्वयं या पति/पत्नी द्वारा परिवार कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत नसबंदी कराने के फलस्वरूप दी जाने वाली अग्रिम वेतन वृद्धियों के संबंध में।

**संदर्भ:-** इस विभाग के ज्ञाप क्र. 46/91/1/3/79, क्र. 0383/432/1/3/79 दिनांक 29.1.79, क्र. 408/629/1/3/79 दिनांक 24.08.79, क्र. 473/629/1/3/79 दिनांक 27.09.79, क्र. 0102/79/1/3/80 दिनांक 20.02.80, क्र. 299/324/1/3/81 दिनांक 20.07.81, क्र. 628/846/1/3/81 दिनांक 22.12.81, क्र. सी-3-44/83/3/1 दिनांक 13.01.84, क्र. सी-3-19/84/3/1 दिनांक 27.06.84, क्र. सी-3-14/86/3/1 दिनांक 21.04.88, क्र. सी-3-13/95/3/1 दिनांक 25.07.95, एवं क्र. सी-3-9/2001/1/3 दिनांक 25.07.2001 /07.08.2001

राज्य शासन द्वारा परिवार कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत शासकीय सेवकों द्वारा स्वयं या पति/पत्नी की नसबंदी कराने पर प्रोत्साहन स्वरूप दी जाने वाली अग्रिम वेतन वृद्धियों की पूर्व व्यवस्था में निम्नानुसार परिवर्तन करने का निर्णय लिया गया है :-

- (1) एक जीवित संतान के बाद स्वयं या पति/पत्नी की नसबंदी कराने पर दो अग्रिम वेतन वृद्धि दिये जाने संबंधी सुविधा यथावत रहेगी।
  - (2) दो जीवित संतान के पश्चात् नसबंदी कराये जाने पर एक अग्रिम वेतन वृद्धि की सुविधा तत्काल प्रभाव से समाप्त की जाती है।
- 2/ ये निर्देश जारी होने के दिनांक से लागू होंगे।

3/ वित्त विभाग के जाबक क्र 228/119/17/वित्त/नियम/चार दिनांक 07.02.17 द्वारा  
दी गई सहमति के अनुक्रम में यह निर्देश जारी किये जा रहे हैं।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशान्सार

*(Signature)*  
(सी०बी०पडवार)

उप सचिव  
मध्य प्रदेश शासन  
सामान्य प्रशासन विभाग

पृष्ठांकन क्रमांक सी-3-11/2016/1/3

भोपाल, दिनांक १ फरवरी 2017

प्रतिलिपि:-

1. राज्यपाल के सचिव म०प्र०राज भवन भोपाल ।
  2. महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर/भोपाल ।
  3. रजिस्टर जनरल, उच्च न्यायालय म०प्र०जबलपुर ।
  4. प्रमुख सचिव /सचिव, मुख्य मंत्री कार्यालय, म०प्र० ।
  5. मान० मंत्री/राज्य मंत्रीगण के निज सचिव/निज सहायक, म०प्र० ।
  6. महानिदेशक, प्रशासन अकादमी, म०प्र० भोपाल ।
  7. अध्यक्ष, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, भोपाल ।
  8. अध्यक्ष, प्रोफेशनल एकाडमिनेशन बोर्ड, भोपाल ।
  9. प्रमुख सचिव /सचिव/उप सचिव/अवर सचिव (स्थापना/अधीक्षण)  
म०प्र०शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय भोपाल ।
  10. प्रमुख सचिव, मध्य प्रदेश विधान सभा सचिवालय, भोपाल ।
  11. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्य प्रदेश भोपाल ।
  12. सचिव, मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन, भोपाल ।
  13. सचिव, लोकायुक्त, मध्य प्रदेश भोपाल ।
  14. सचिव, लोक सेवा आयोग, मध्य प्रदेश इन्डौर ।
  15. मुख्य सचिव के उप सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय मध्य प्रदेश शासन, भोपाल ।
  16. महाधिवक्ता /उप महाधिवक्ता, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर, खण्डपीठ  
इन्दौर /ग्वालियर ।
  17. आयुक्त, जनसंरक्षक संचालनालय, मध्य प्रदेश भोपाल ।
  18. समस्त जिला कोषालय अधिकारी, मध्य प्रदेश ।
  19. मुख्य लेखाधिकारी, मंत्रालय भोपाल ।
  20. अध्यक्ष, मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी कल्याण समिति, भोपाल ।
  21. अध्यक्ष, शासन के समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संघ, भोपाल ।
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

*(Signature)*  
उप सचिव  
मध्यप्रदेश शासन  
सामान्य प्रशासन विभाग



बेटी है तो कल है

